

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओडा
च भू.अ.नि. लोकड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरड़िया तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2033 में खाता संख्या 251 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अरड़िया	251	एस. बी. बी. जी. शाखा राज्यावास	एस. बी. आई. शाखा राज्यावास

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा

दिनांक :- 03.10.25

क्रमांक:- राजस्व/2025/120
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. शक्ति पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा